

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 की दिवानी रिट अधिकारिता मामला संख्या.-17449

राहिल अहमद, पुत्र-सिराजुद्दीन अंसारी, निवासी- ईशोपुर अमरुदी बगीचा, डाकघर और थाना-
 फुलवारी, जिला-पटना, बिहार-801505।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला दंडाधिकारी, जिला-पटना, बिहार।
4. उप विकास आयुक्त, पटना, बिहार।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर, जिला-पटना, बिहार।

.....प्रतिवादी/ओं

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री आतिश कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं की ओर से	:	श्री विनय कीर्ति सिंह, जी.ए.2

भारत का संविधान --- अनुच्छेद 226, 309 से 311 ---- बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005 --- नियम 17 --- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के अंतर्गत ग्रामीण आवास सहायक के पद पर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने के प्रतिवादी अधिकारियों के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका --- दलील है कि समाप्ति आदेश केवल आरोप के आधार पर और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था।

निर्णय: सीसीए नियम, राज्य द्वारा किसी विशेष योजना के लिए नियुक्त संविदा, अस्थायी, दैनिक वेतन भोगी या तदर्थ कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होते हैं और योजना के पूरा होने या बंद होने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है। संविदा कर्मचारी राज्य के नियमित कर्मचारियों पर लागू सेवा संरक्षण नियमों का दावा नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता को राज्य द्वारा पूरी तरह से संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है और वह राज्य के अधीन कोई सिविल पद नहीं रखता है। इसलिए, संघ या राज्य विधानसभाओं द्वारा तैयार नियमों के अनुसार उसकी सेवाएं भी समाप्त नहीं होती हैं। रिट खारिज। मामला इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए वृहद पीठ को भेजा गया कि क्या सीसीए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही, विभागीय जांच और आरोप का निर्धारण, राज्य के अधीन विशिष्ट योजना के तहत काम कर रहे संविदा/अस्थायी/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों के मामले में लागू है। (पैरा 1, 5, 9, 10, 15-18)

(2007) 11 एससीसी 681, एआईआर 1967 एससी 884, (2023) 3 एससीसी 498, (2014) 5 एससीसी 300, (2005) 6 एससीसी 657पर भरोसा किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी
मौखिक निर्णय
दिनांक: 07-05-2024

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की है:-

i) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित दिनांक 10.12.2019 के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3, जिला , जिला- पटना, बिहार द्वारा पारित ज्ञापन संख्या-119 दिनांक-29.01.2019 में निहित समाप्ति के आदेश को बरकरार रखा गया था और साथ ही ज्ञापन संख्या119 दिनांक-29.01.2019 में निहित समाप्ति के आदेश को रद्द करने के लिए।

ii) याचिकाकर्ता को बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के अंतर्गत ग्रामीण आवास सहायक के पद पर बहाल करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए संबंधित प्रतिवादियों द्वारा समान कैडर और श्रेणी के समान रूप से स्थित मामलों में याचिकाकर्ता के समान कई अन्य व्यक्तियों को अनुमति दी गई है।

iii) याचिकाकर्ता को उसकी गलत बर्खास्तगी की तारीख से उसकी बहाली तक के सभी बकाया वेतन के साथ-साथ परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देना।

iv) प्रतिवादियों को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के कारण हुई मानसिक और वित्तीय पीड़ा के लिए अनुग्रह मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए.

v) प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए कि वे सभी परिणामी लाभों का भुगतान करें, जिसमें वरिष्ठता, पदोन्नति और गलत तरीके से समाप्ति की अवधि के दौरान अर्जित कोई भी अन्य लाभ शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

vi) कोई अन्य राहत प्रदान करना जिसके लिए याचिकाकर्ता कानून की नजर में हकदार पाया जाए। ”

2. याचिकाकर्ता को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के अंतर्गत मेमो संख्या 793, दिनांक 3 मार्च, 2014 के तहत ग्रामीण आवास सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। जब वह दानापुर के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में तैनात था,

तो उसे कारण बताओ नोटिस मिला कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (संक्षेप में "पीएमएवाई") के तहत वित्तीय वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के लिए लाभार्थियों को सहायता राशि की पहली किस्त क्यों जारी नहीं की गई और लाभार्थियों को वितरित क्यों नहीं की गई।

3. यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण आवास सहायक के रूप में याचिकाकर्ता को पीएमएवाई के तहत घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को धन वितरित करने का कर्तव्य सौंपा गया था। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का विधिवत उत्तर देते हुए कहा कि, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्होंने पीएमएवाई के अनुदान की पहली किस्त वितरित कर दी है। हालांकि, उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल नहीं किए जिन्हें पंजीकरण के लिए लाभार्थी घोषित किया गया था क्योंकि उनके पास उक्त योजना के तहत घर बनाने के लिए जमीन भी नहीं थी। याचिकाकर्ता को 22 सितंबर, 2018 को दूसरा कारण बताओ नोटिस दिया गया था। उन्होंने अपने अधिकारियों की संतुष्टि के लिए अपना जवाब भी प्रस्तुत किया। इसके बाद, उन्हें प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा मेमो संख्या 1440, दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 द्वारा तीसरा कारण बताओ नोटिस दिया गया। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने एक विशेष लाभार्थी के नाम पर दी गई निधि को अन्य लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी गलती का तर्क दिया और तुरंत इस गलती को सुधार लिया।

4. प्रतिवादी संख्या 5, प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर, पटना ने याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा कि वह 22 अक्टूबर, 2018 की बैठक में अनुपस्थित क्यों थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि शारीरिक बीमारी के कारण वह 22 अक्टूबर, 2018 को कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके।

5. 25 अक्टूबर, 2018 को राज्य ग्रामीण आवास कर्मचारी संघ, बिहार (संक्षेप में "एसजीएसए") ने दंडात्मक कार्रवाई, मानदेय कटौती और अन्य मांगों के खिलाफ जिला समाहरणालय में राज्यव्यापी हड़ताल, सामूहिक अवकाश और धरने का आह्वान किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता, एसजीएसए का सदस्य होने के नाते 25 अक्टूबर, 2018 से 6 नवंबर, 2019 तक अपनी इयूटी पर उपस्थित नहीं हुआ। वह 6 नवंबर, 2019 को अपनी सेवा में शामिल हुआ। 12 दिसंबर, 2018 को, उन्हें उप विकास आयुक्त, दानापुर, पटना (प्रतिवादी

संख्या 4) द्वारा उक्त अवधि के दौरान अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए जारी आरोप पत्र दिया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त आरोप पत्र में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए 8 जनवरी, 2019 को जिला दंडाधिकारी, पटना, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आरोप पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद, अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिए बिना, याचिकाकर्ता को जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा 29 जनवरी, 2019 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी, 2019 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्टीकरण के साथ उक्त आरोप पत्र में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। हालांकि, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद, 21 फरवरी, 2019 को संविदा कर्मचारी संघ, बिहार, पटना ने याचिकाकर्ता की समाप्ति के आदेश के संबंध में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना को एक पत्र लिखा और उस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। हालांकि, संघ के अभ्यावेदन पर भी अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता इसी न्यायालय के एक समन्वय पीठ द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7056/2020 में इसी तरह के तथ्यों और परिस्थितियों पर पारित आदेश का हवाला देता है, जिसमें एक समन्वय पीठ ने कहा था: -

“अब यह बात पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है कि प्राकृतिक न्याय के अनुपालन के बिना कोई भी बुरा या नागरिक परिणाम देने वाला आदेश पारित नहीं किया जा सकता। निर्विवाद रूप से अनुलग्नक-6 में निहित आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था और केवल आरोप के आधार पर, इस याचिकाकर्ता के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है। ऐसा आदेश कानूनविहीन है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

तदनुसार, इसे रद्द किया जाता है, अनुबंध-6 में निहित समाप्ति के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। ”

6. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है। मैंने रिट याचिका, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और विशेष रूप से 13 जनवरी, 2021 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7056/2020 में एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश का

भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता ग्रामीण आवास सहायक है। उन्हें एक विशेष योजना, अर्थात् पीएमएवाई के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था और योजना के पूरा होने या समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

7. कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम अमीरबी एवं अन्य, (2007) 11 SCC 681

में रिपोर्ट किया गया, यह प्रश्न कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिविल पद हैं या नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मानते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पद वैधानिक पद नहीं है। उन्हें योजना के अनुसार बनाया गया है। यह कहना एक बात है कि राज्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि वे सिविल पदों के धारक हैं।

8. अमीरबी (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असम राज्य बनाम कनक चंद्र दत्ता में संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसे एआईआर 1967 एससी 884 में रिपोर्ट किया गया था और कनक चंद्र दत्ता मामले के पैराग्राफ संख्या 9 और 10 को पुनः प्रस्तुत किया गया था। उक्त पैराग्राफ हमारे उद्देश्य के लिए बिल्कुल प्रासंगिक हैं और नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

“9. प्रश्न यह है कि क्या मौजादार संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति है। 'पद' और 'सिविल पद' की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है। संविधान के भाग XIV के सेवा अध्याय में जिस अर्थ में इनका प्रयोग किया गया है, वह उनके संदर्भ और परिवेश से संकेतित होता है। अनुच्छेद 310 में सिविल पद को रक्षा से जुड़े पद से अलग किया गया है; यह प्रशासन के रक्षा पक्ष से अलग सिविल पद है, संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में रोजगार। अनुच्छेद 311 के हाशिए पर टिप्पणी देखें। अनुच्छेद 311 में संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा के सदस्य का अलग से उल्लेख किया गया है और सिविल पद का अर्थ है नियमित

सिविल सेवाओं के बाहर रक्षा से जुड़ा न होने वाला पद। पद एक सेवा या रोजगार है। राज्य के अधीन पद धारण करने वाला व्यक्ति राज्य के अधीन सेवारत या नियोजित व्यक्ति होता है। अनुच्छेद 309, 310 और 311 के हाशिए पर दिए गए नोट देखें। भाग XIV और अध्याय I के शीर्षक और उपशीर्षक सेवा के तत्त्व पर जोर देते हैं। राज्य और उसके अधीन कोई पद धारण करने वाले व्यक्ति के बीच स्वामी और सेवक का संबंध होता है। इस संबंध का अस्तित्व राज्य के उस पद के धारक को चुनने और नियुक्त करने के अधिकार, उसे निलंबित करने और बर्खास्त करने के अधिकार, उसके काम करने के तरीके और विधि को नियंत्रित करने के अधिकार और उसके वेतन या पारिश्रमिक के भुगतान के अधिकार से संकेतित होता है। स्वामी और सेवक का संबंध इन सभी या कुछ संकेतों की उपस्थिति और अन्य परिस्थितियों के साथ स्थापित किया जा सकता है और प्रत्येक मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि राज्य और किसी पद के कथित धारक के बीच ऐसा कोई संबंध है या नहीं।

10. अनुच्छेद 309, 310 और 311 के संदर्भ में, पद का अर्थ है पद। राज्य के अधीन कोई व्यक्ति जो सिविल पद धारण करता है, वह संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद धारण करता है, अनुच्छेद 310 देखें। राज्य के अधीन पद एक ऐसा पद या स्थिति है जिससे राज्य के मामलों से संबंधित कर्तव्य जुड़े होते हैं, एक ऐसा पद या स्थिति जिस पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और जो पद के धारक से अलग और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अनुच्छेद 310(2) में यह विचार किया गया है कि किसी पद को समाप्त किया जा सकता है और पद धारण करने वाले व्यक्ति को पद खाली करने के लिए कहा जा सकता है, और यह पद के धारक से अलग अस्तित्व में रहने के विचार पर बल देता है। कोई पद नियुक्ति से पहले या उसके साथ-साथ सृजित किया जा सकता है।

कोई पद एक रोजगार है, लेकिन हर रोजगार एक पद नहीं है। एक आकस्मिक मजदूर किसी पद का धारक नहीं है। राज्य के अधीन पद का अर्थ है राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पद। राज्य पद का सृजन या उन्मूलन कर सकता है तथा पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकता है। "

9. जब याचिकाकर्ता राज्य के अधीन किसी सिविल पद का धारक नहीं है, तो यह प्रश्न स्वतः ही उठेगा, यदि याचिकाकर्ता एक संविदा कर्मचारी होने के नाते बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (जिसे संक्षेप में "सीसीए नियम" कहा जाता है) के नियम 17 से संबंधित प्रावधानों के अधीन है। मेरी विनम्र राय में, सीसीए नियम किसी विशेष योजना के लिए राज्य द्वारा नियुक्त संविदा, अस्थायी, दैनिक वेतन या तदर्थ कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होता है और योजना के पूरा होने या समाप्त होने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नंद कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में (2014) 5 एससीसी 300 में कहा कि दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति कभी भी उचित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई थी, इसलिए वे "नियुक्ति" के सख्त अर्थ में नियुक्त व्यक्ति नहीं हैं। वे किसी पद पर नहीं हैं। इसलिए, समाप्त संगठन के नियमित कर्मचारियों के लिए बनाई गई वैकल्पिक नियुक्ति की योजना, समाप्त संगठन के दैनिक वेतन भोगियों को ऐसे वैकल्पिक रोजगार के लिए समान अधिकार नहीं दे सकती। दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति नियमों के अनुसार किसी पद पर नियुक्ति नहीं है। आमतौर पर, जिन परियोजनाओं में दैनिक वेतन भोगी लगे हुए थे, वे समाप्त हो जाने के बाद, काम के अभाव में उनकी नियुक्ति अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। इसलिए, दैनिक वेतन भोगी या सरकारी संस्था की स्थिति और अधिकार सरकारी कर्मचारी के बराबर नहीं हैं और उनके स्थायी होने के दावे पर अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए। नियमितीकरण/समायोजन का उनका दावा बेशक बेमानी है। इसके अलावा, अस्थायी नियुक्ति के परिणाम उनके ज्ञान में थे। इस प्रकार, उन्हें पद पर स्थायी होने के लिए वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान करने का भी अधिकार नहीं हो सकता है।

10. संविदा कर्मचारी की सेवाओं की प्रकृति भी ऐसी ही है। संविदा समाप्त होने

पर संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है। संविदा कर्मचारी राज्य के नियमित कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। बेशक, राज्य एक नियोक्ता है, इसलिए राज्य और संविदा कर्मचारी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का रिश्ता होता है, लेकिन वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते।

11. अभी हाल ही में, **सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी एवं अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव एवं अन्य, (2023) 3 एससीसी 498** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात्:-

“(i) जब कर्मचारी भारत संघ या राज्य के अधीन कार्यरत लोक सेवक हो;

(ii) जब ऐसा कर्मचारी किसी प्राधिकरण/निकाय द्वारा नियोजित हो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य हो; और

(iii) जब ऐसा कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अर्थ में “कर्मचारी” हो और उक्त अधिनियम के तहत मशीनरी का सहारा लेकर अपनी सेवा समाप्ति के बारे में विवाद उठाता हो।

पहले दो मामलों में, रोजगार में निजी कानून का चरित्र नहीं रह जाता है और ऐसे रोजगार को “स्थिति” दे दी जाती है। तीसरी श्रेणी के मामलों में, यह औद्योगिक विवाद अधिनियम है जो श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को यह अधिकार देता है कि यदि सेवा समाप्ति अवैध पाई जाती है तो वह पुनः सेवा में बहाल कर दे। ”

12. **बिन्नी लिमिटेड बनाम वी. सदाशिवन, (2005) 6 एससीसी 657** में रिपोर्ट किया गया, पैराग्राफ 11 में यह माना गया है:-

“11. न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और कर्तव्य की उपेक्षा के मामलों को रोकना है। हालाँकि, हमारे संविधान के तहत अनुच्छेद 226 इस तरह से बनाया गया है कि निजी प्राधिकरण के खिलाफ भी परमादेश जारी किया जा

सकता है। हालाँकि, ऐसे निजी प्राधिकरण को सार्वजनिक कार्य करना चाहिए और सुधारे जाने या लागू किए जाने वाले निर्णय सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में होने चाहिए। राज्य की भूमिका काफी बढ़ गई है और सरकारी कार्यों को करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने उद्योग चलाने और व्यापारिक गतिविधियाँ चलाने के लिए कई निगम और कंपनियाँ भी बनाई हैं। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 12 की व्याख्या में, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि इनमें से कई कंपनियाँ और निगम संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आ सकते हैं। साथ ही, निजी निकाय भी हैं जो सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्यों और निजी कार्यों के बीच एक रेखा खींचना मुश्किल है जब वे पूरी तरह से निजी प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हों। एक निकाय "सार्वजनिक कार्य" तब कर रहा होता है जब वह जनता या जनता के एक वर्ग के लिए कुछ सामूहिक लाभ प्राप्त करना चाहता है और जनता या जनता के उस वर्ग द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए निकाय सार्वजनिक कार्य तब करते हैं जब वे सार्वजनिक हित में सामाजिक या आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं या भाग लेते हैं। ”

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी (उपरोक्त) में बिन्नी लिमिटेड (उपरोक्त) के पैराग्राफ संख्या 29 और 32 को उद्धृत किया है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:

“29. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि परमादेश रिट या अनुच्छेद 226 के तहत उपाय एक सार्वजनिक कानून है और निजी गलतियों के खिलाफ उपाय के रूप में आम तौर पर उपलब्ध नहीं है। इसका उपयोग जनता के विभिन्न अधिकारों को लागू करने या सार्वजनिक/वैधानिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने और उनकी सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। इसका

उपयोग न्याय करने के लिए किया जा सकता है जब सत्ता का गलत प्रयोग किया जाता है या कर्तव्यों का पालन करने से इनकार किया जाता है। यह रिट प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के रूप में काम करने के लिए सराहनीय रूप से सुसज्जित है। यह रिट किसी भी निजी निकाय या व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 226 में इस्तेमाल किए गए शब्दों के मद्देनजर। हालाँकि, परमादेश का दायरा सार्वजनिक कर्तव्य के प्रवर्तन तक ही सीमित है। परमादेश का दायरा लागू किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निर्धारित होता है, न कि उस अधिकारी की पहचान से जिसके खिलाफ इसे मांगा जाता है। यदि निजी निकाय कोई सार्वजनिक कार्य कर रहा है और किसी अधिकार का हनन उस निकाय पर लगाए गए सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित है, तो सार्वजनिक कानून उपाय लागू किया जा सकता है। सार्वजनिक निकाय पर लगाया गया कर्तव्य या तो वैधानिक हो सकता है या अन्यथा और ऐसी शक्ति का स्रोत महत्वहीन है, लेकिन फिर भी, ऐसी कार्रवाई में सार्वजनिक कानून तत्त्व होना चाहिए। कभी-कभी, सार्वजनिक कानून और निजी कानून उपायों के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। .”

32. इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि एक निजी निकाय के खिलाफ परमादेश की रिट जारी की जा सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" नहीं है और ऐसा निकाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी पक्ष द्वारा चुनौती दी गई कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। लेकिन इसमें एक सार्वजनिक कानून तत्त्व होना चाहिए और इसका प्रयोग पक्षों के बीच दर्ज किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ”

14. हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, भले ही जिस निकाय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है वह राज्य या राज्य

का कोई प्राधिकरण या साधन न हो, लेकिन शिकायत की गई कार्रवाई में एक सार्वजनिक तत्व अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिस निर्णय को सुधारने या लागू करने की मांग की गई है, वह सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में होना चाहिए। निस्संदेह, यहाँ अपीलकर्ता 1 का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, जो एक सार्वजनिक कार्य है। हालाँकि, यहाँ मुद्दा प्रतिवादी 1 की सेवा की समाप्ति के संबंध में है, जो मूल रूप से एक सेवा अनुबंध है। एक निकाय को सार्वजनिक कार्य करते हुए कहा जाता है जब वह जनता या जनता के एक वर्ग के लिए कुछ सामूहिक लाभ प्राप्त करना चाहता है और जनता या जनता के उस वर्ग द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

15. इस मामले में, यह न्यायालय इस बात पर ध्यान देने से नहीं चूका है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों के लिए घर बनाना निस्संदेह सार्वजनिक कार्य का निर्वहन है। राज्य ऐसी योजना के कार्यान्वयन और प्रचार के माध्यम से बेघर लोगों के सिर पर छत प्रदान करके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक और मानवीय अधिकार की रक्षा कर रहा है। हालाँकि, योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान वितरित करने के लिए, राज्य द्वारा कुछ संविदा कर्मचारियों, अर्थात् ग्रामीण आवास सहायकों को पूरी तरह से संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है। वे राज्य के तहत कोई सिविल पद नहीं रखते हैं। इसलिए, संघ या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनकी सेवाएँ भी समाप्त नहीं की जाती हैं।

16. इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवा उसके नियोक्ता द्वारा सी.सी.ए. नियम, 2005 का पालन किए बिना भी समाप्त की जा सकती है।

17. उपरोक्त कारणों से, मुझे इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। .

18. इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, मैं सम्मानपूर्वक यह दर्ज करना चाहता हूँ कि मैं सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7056/2020 में पारित समन्वय पीठ के निर्णय से असहमत हूँ, जिसे रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-17 के रूप में संलग्न किया गया है। इसलिए, मेरी विनम्र राय में, इस मामले को इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता है कि क्या विभागीय कार्यवाही, विभागीय जाँच और

सीसीए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आरोप का निर्धारण, राज्य के अंतर्गत विशिष्ट योजना के तहत काम करने वाले संविदा/अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ कर्मचारियों के मामले में लागू है।

(बिबेक चौधरी, न्यायामूर्ति)

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।